अतिआवश्यक/फैक्स

अम्बरीष चन्द्र शर्मा
आई.पी.एस

परिपत्र सं0:डीजी-01/2013

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ

दिनांक:लखनऊ: जनवरी 13, 2013

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि वाहनों के शीशों पर अलग से काली फिल्म लगाकर कभी-कभी कुछ अपराधी सुविधाजनक तरीके से आवागमन करते हैं। कभी-कभी इनके द्वारा अपराध भी किया जाता है। आप इस बात से भी अवगत हैं कि मा0 उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल)संख्या 265/2011 अभिषेक गोयनका बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 27-04-2012 को पारित आदेश में विभिन्न वाहनों के शीशों पर अलग से फिल्मों को लगाया जाना अवैध घोषित कर दिया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक है।

2- अपराध नियन्त्रण तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वाहनों के शीशों पर अवैध रूप से लगाये गये फिल्मों को हटाने और ऐसे वाहनों के चालान किये जाने हेतु पूरे प्रदेश में दिनांक 15-01-2013 से 10 दिवस का सघन अभियान चलाया जाय। इस अभियान को चलाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय:-

(क) पुलिसकर्मी किसी से दुर्व्यवहार न करें किन्तु अपना कार्य शालीनता और कड़ाई से अवश्य करें।

(ख) अभियान के अन्तर्गत प्रतिदिन दो घंटे ही ऐसे वाहनों की सघन चेकिंग व चालान हो। वाहन चेकिंग के लिये अलग-अलग दिवसों में अलग-अलग समय पर वाहनों की चेकिंग की जाय। प्रतिदिन समय का निर्धारण जिले के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाय।

(ग) बच्चों के स्कूल जाने और कार्यालय दिवस में कार्यालय जाने के समय यह चेकिंग न किया जाय ताकि बच्चों और कार्यालय जाने वालों को विलम्ब व असुविधा न हो।

(घ) चेकिंग के समय कोई पक्षपात व भेदभाव न किया जाय।

(च) चेकिंग कार्य राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में हो।

3- जनपदों में उपरोक्तानुसार किये गये कार्यो की मेरे द्वारा समीक्षा भी की जायेगी। संलग्न प्रारूप में जनपदों में हुई कार्यवाही का विवरण परिक्षेत्र व जोन के माध्यम से यातायात निदेशालय को **दिनांक 29-01-2013 तक** अवश्य भेज दिया जाय।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में जनपद के सभी अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस विषय में मन लगाकर जनपदों में कार्य करायेंगे।

भवदीय,

(अम्बरीष चन्द्र शर्मा) 13/1

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उ0प्र0

<u>संलग्नक:उपरोक्तानुसार।</u>

<u>प्रतिलिपि:</u> अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, यातायात उ0प्र0 को सूचनार्थ तथा जनपदों में हुई कार्यवाही से समय से अवगत कराने हेतु प्रेषित।

<u>प्रतिलिपि:</u> निम्नांकित को सूचनार्थ एवं जनपदों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा समय से जनपदवार आख्या भेजने हेतु प्रेषित:-

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

वाहनों में ब्लैक फिल्म प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल)संख्या 265/2011 अभिषेक गोयनका बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 27-04-2012 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु भेजी जाने वाली आख्या का प्रारूप

क0 सं0	जोन	परिक्षेत्र	जनपद	ऐसे वाहनों की कुल संख्या जिन पर से ब्लैक फिल्म उतारी गयी	ब्लैक फिल्म लगी होने के कारण चालान किये गये वाहनों की कुल संख्या	ब्लैक फिल्म लगी वाहनों से वसूली गयी शमन शुल्क की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7